न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2549/2026
CNR No-UPBR01-008223-2026

छाया पत्नी स्व० धर्मवीर,
निवासी मो० प्रकाश नगर कस्बा व थाना नबावगंज, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या-309/2026
अन्तर्गत धारा-108 बी०एन०एस०
थाना-नबावगंज, जनपद-बरेली।

दिनांक-14.07.2026

1. थाना नबावगंज, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-309/2026, अन्तर्गत धारा-108 बी०एन०एस०, में आवेदिका **छाया** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है और उसको उपरोक्त मुकदमें में वादी द्वारा असत्य एवं निराधार कथनो के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कानूनी सलाह मशविरा करके 15 घन्टे बाद विलम्ब से दर्ज करायी गयी है विलम्ब से एफ. आई. आर. दर्ज कराने का कोई उचित कारण नही बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका को घटना कारित करने का कोई मोटिव नही बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दूसरो के बताये अनुसार दर्ज करायी गयी है वादिनी घटना की चश्मदीद साक्षी नही है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन कथनों का समर्थन नहीं करती है। दौराने विवेचना विवेचक द्वारा धारा 103 (1) बी०एन०एस० का कोई अपारध न पाकर केवल धारा 108 बी. एन. एस. में मुकदमा तरमीम किया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। मृतक एवं मुकदमे की वादिनी दिनांक 29.5.2026 को रिश्तेदारी मे किसी प्रोग्राम में गये हुये थे वहां मृतक के साथ वादिनी एवं उसके अन्य रिश्तेदारों द्वारा उसे बुरी तरीके से अपमानित व बेइज़्ज़त किया गया मृतक द्वारा रिश्तेदारी में बेइज़्ज़त व अपमानित होने के कारण स्वयं आत्महत्या कर ली जिसके लिये प्रार्थिनी लगाये गये आरोपों के लिये जिम्मेदार नही है। मुकदमे की वादिनी द्वारा दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनों व ब्यान धारा 180 बी0एन0एस0 में गंभीर विरोधाभास है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनों के आधार पर जिस प्रकार की घटना बतायी है प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। आवेदिका व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी और न ही उसे किसी प्रकार से अपमानित किया गया। आवेदिका उक्त मुकदमें में दिनांक 31.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदिका और मृतक पति-पत्नी थे जिनका आपस में विवाद था उसी विवाद से दुष्प्रेरित होकर मृतक द्वारा आत्महत्या कारित की गयी है। आवेदिका की मुख्य भूमिका है। अपराध गंभीर प्रकृति का है जमानत निरस्त की जाये।

4. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस कथानक के साथ दर्ज करायी गयी है कि वादिनी व वादिनी का पुत्र धर्मवीर दिनांक 29.05.2026 को अपने रिश्तेदार जगदीश पुत्र जमुना प्रसाद निवासी गाँछ में नामकरण संस्कार में गये हुये थे। धर्मवीर वापस दिनांक 30.05.2026 की सुबह 8.30 बजे चला आया धर्मवीर को अपने मोहल्ला स्थित प्रकाश नगर कस्बा व थाना नवाबगंज जिला बरेली में मोहल्ले वालो ने देखा वादिनी समय करीब दिनांक 30.05.2026 की सुबह 9.30 बजे वादिनी स्थित मो० प्रकाश नगर कस्बा व थाना नवाबगंज जिला बरेली में आई तो वादिनी के पुत्र का मकान का दरवाजा खुला हुआ था और धर्मवीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ। वादिनी लगभग 9.30 बजे गाँछ से लौटकर अपने घर आई तब वादिनी के पुत्र का शव जमीन पर पड़ा था उसके गले में रस्सी थी और उसके शरीर पर जलने व चोट के काफी निशान थे। वादिनी के पुत्र धर्मबीर व उसकी पत्नी छाया में कई वार मारपीट व झगड़े होते रहते थे जिसमें वादिनी की की पुत्रबधु छाया व पुत्र की सास विट्टो पत्नी किशोर व उसका मौसेरा भाई हरिओम थाना घुंचाई व छाया की बहन वरसा पत्नी रिंकू आये दिन वादिनी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देते रहते थे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि घटना के समय वादिनी की पुत्रबधु छाया घर पर मौजुद थी और छाया ने उक्त लोगो के साथ मिलकर वादिनी के पुत्र धर्मवीर की हत्या की है।

6. शव परीक्षण आख्या के अनुसार मृतक के शव पर गले के चारों तरफ 36 सेमी. X 1.5 सेमी. का लिगेचर मार्क पाया गया है जिसमें गले के

दाहिनी तरफ 4 सेमी. का रिक्त स्थान था। उक्त निशान गर्दन पर सामने की ओर ठोड़ी से 4 सेमी. नीचे और बाये कान से 7 सेमी. नीचे, दाये कान से 1 सेमी. नीचे पाया गया है। चिकित्सक की राय में मृतका की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व गले से लटकने के कारण दम घुटने की वजह से है।

7. उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक के गले में रस्सी जलने का निशान और चोट के निशान का उल्लेख किया गया है लेकिन शव परीक्षण आख्या में गले में लिगेचर मार्क के अलावा अन्य कोई निशान अंकित नहीं है।

8. अभियोजन का यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 29.05.2026 को मृतक व वादिनी जो कि पुत्र व मां हैं रिश्तेदार जगदीश के घर नामकरण संस्कार में गये थे। सुबह 30.05.2026 को 8.30 बजे मृतक वहां से चला आया था और उसी दिन प्रातः 9.30 बजे वादिनी अपने घर पहुँची जहां उसने अपने पुत्र को मृत अवस्था में पाया। मृतक को अपनी आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने के संदर्भ में आवेदिका की भूमिका के संदर्भ में इस स्तर पर अभियोजन साक्ष्य दर्शित करने में असमर्थ है।

9. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त, प्रकरण के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदिका की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. आवेदिका **छाया** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

11. आवेदिका को मु0 80,000/-(अस्सी हजार)/रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0 प्र0 राज्य व एक अन्य के मामले में पारित निर्णय दिनॉकित 12.08.2025 के अनुपालन में** समान धनराशि के एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर, अभियुक्ता की पहचान व पते के सत्यापन के उपरान्त उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाये।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.एम.डब्लू.पी.(क्रिमनल) नं0-4 सन् 2021 में पारित आदेश दिनांकितः 01.02.2023 के अनुपालन में जारी पत्र सं0 448/ एसएलएसए-06/2021 (Shubh/haider) दिनांकितः फरवरी 13, 2023 के क्रम में जमानत आदेश की साफ्ट

कापी सम्बन्धित जेल अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software में करें और यदि सात दिन के अंदर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्ता आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होती है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

13. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड/विचारण पत्रावली में रखी जाये।

दिनांकः 14.07.2026

(प्रदीप कुमार सिंह-II)
आई.डी.यू.पी.1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.07.14 17:37:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court